प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Fort, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

14 दिसंबर 2021

एनबीएफ़सी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क जारी किया।

यह विदित है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क 2 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। एनबीएफसी आकार में बढ़ रहे हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ पर्याप्त अंतर-संबद्धता रखते हैं। तदनुसार, एनबीएफ़सी पर लागू होने वाले पर्यवेक्षी उपकरणों को और अधिक मजबूत करने हेतु एनबीएफ़सी के लिए भी एक पीसीए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। यह निम्नलिखित पर लागू होंगे:

(क) जमा स्वीकार करने वाले सभी एनबीएफ़सी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर],

(ख) मध्य, ऊपरी और शीर्ष स्तर पर जमा स्वीकार न करने वाले सभी एनबीएफ़सी [(i) एनबीएफ़सी, जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं कर रही हैं/स्वीकार करने का इरादा नहीं रखती हैं; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक व्यापारी और (iv) आवास वित्त कंपनियों को छोड़कर]।

31 मार्च 2022 को और उसके बाद एनबीएफ़सी की वित्तीय स्थिति के आधार पर एनबीएफ़सी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क 1 अक्तूबर 2022 से लागू होगा। सरकारी एनबीएफ़सी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क की प्रयोज्यता के संबंध में यथा समय अलग से एक परिपत्र जारी किया जाएगा।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1352